न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 345/11/2015 विरूद्व आदेश दिनांक 29–01–2015 पारित व्दारा न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – अपील प्रकरण कमांक 91/2012–13

अरूण कुमार सिंघल पुत्र जगदीश सिंघल,
निवासी एम0एस0रोड, मुरैना मध्य प्रदेश । ––– आवेदक

विरूद्व

1– श्रीपति पुत्र नकटू
2– महिला हलुकी पत्नि स्व0 रामसिंह कुशवाह
3– श्रीमती किन्ती पुत्री नकटू पत्नि लालसिंह कुशवाह
निवासी ग्राम गंगाकापुरा तहसील कैलारस, मुरैना
4– श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सुरेश पत्नि राकेश कुशवाह
निवासी ग्राम जखौदा तहसील कैलारस, मुरैना
5– सुश्री भूरी पुत्री सुरेश कुशवाह निवासी ग्राम जरैना
तहसील कैलारस हाल रिठौनिया कैलारस, मुरैना
6– आशाराम पुत्र सुरेश
7– सुदामा पुत्री सुरेश नावालिक सरपरस्त मॉ हलुकी
पत्नि स्व.रामसिंह निवासी ग्राम जरैना तहसील
सवलगढ़ हाल निवासी रिठोनिया तहसील कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश

–––अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 16–6–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 91/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रतनू, श्रीपति पुत्रगण नकटू कुशवाह ने तहसीलदार कैलारस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उनकी मॉ श्रीमती मथुरो के नाम संयुक्त खाता कमांक 117, 176, 163 में हिस्सा 1/4 भूमि है मृतक मथुरो व्दाराएक बसीयतनामा किया गया है इसलिये बसीयतनामे के अनुसार नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार केलारस ने प्रकरण कमांक 19/2009–10 अ 6 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23–4–10 पारित करके ग्राम रिठोनिया के खाता नंबर 117 के सर्वे नंबर 14/0.17, 227/ 0.59, 294/ 0.09 कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है. में मथुरो के हिस्सा 1/8 पर रतनू पुत्र नकटू कुशवाह का तथा खाता नं. 176 के सर्वे नंबर 160 रकबा 0.35 है. के हिस्सा 1/8 पर महिला हलुकी वेवा रामसिंह कुशवाह का तथा खाता नं. 163 के सर्वे नं. 15 रकबा 0.17 है, 110 रकबा 0.04 है. , 111 रकबा 0.47 है., 161 रकबा 0.04 है. 295 रकबा 0.09 कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 हैक्टर के मथुरो के हिस्सा 1/8 पर श्रीपति पुत्र नकटू कुशवाह का नामांत्रण स्वीकार किया।

आवेदक व्दारा तहसीलदार केलारस के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि भूमिस्वामी रामसिंह पुत्र नकटू, किन्ती पुत्री नकटू , मथुरो पत्नि स्वर्गीय नकटू व्दारा ग्राम रिठोनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 160 रकबा 0.35 आरे जर्य पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 5–8–98 से उसके हक में विकय की है तथा श्रीपति पुत्र नकटू, किन्ती पुत्री नकटू एंव महिला मथुरो ने ग्राम रिठोनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 110 रकबा 0.04 आरे विकय पत्र दिनांक 6–7–2000 से उसके हक में विकय की है इसलिये इन सर्वे नंबरों की भूमि पर आदेश दिनांक 23–4–10 से किये गये नामान्तरण को पुनरावलोकन में लेकर निरस्त किया जावे तथा विकय पत्रों के आधार पर उसका नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार केलारस ने प्रकरण कमांक 63 बी 121/2009–10 पंजीबद्व किया तथा अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ से पुनरावलोकन अनुमति मागी। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 39/09–10 बी 121 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 9–8–10 पारित कर तहसीलदार कैलारस को पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई। तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 63 बी 121/2009–10 में हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 5–7–11 पारित किया तथा प्रकरण कमांक 19/2009–10 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 23–4–10 को ऑशिक सॅशोधित करते हुये आवेदक व्दारा कय की गई ग्राम रिठोनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 160 रकबा 0.35 है. तथा सर्वे नंबर 110 रकबा 0.04 हैक्टर पर केता आवेदक का नामान्तरण करना स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 46/10–11 अपील में

पारित आदेश दिनांक 9.10.12 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुकत, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील होने पर प्रकरण कमांक 91/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ का आदेश दिनांक 9.10.12 तथा तहसीलदार केलारस का आदेश दिनांक 5–7–11 निरस्त किया गया एंव तहसीलदार कैलारस के पूर्वादेश दिनांक 23.4.2010 को स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि तहसीलदार कैलारस ने खातेदार महिला मथुरो के हिस्से पर धारित भूमि , उसके व्दारा भूमि विकय करने के वाद भी उसका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज चले आने के कारण विकेता खातेदार के वारिसान का नामान्तरण प्रकरण कमांक 19/2009–10 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 23–4–10 से सर्वे कमांक 160 रकबा 0.35 आरे एंव भूमि सर्वे कमांक 110 रकबा 0.04 आरे (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के साथ अन्य भूमियों पर किया है ओर इन्हीं दोनों सर्वे नंबरों की भूमि का केता आवेदक है जिसने आदेश दिनांक 23–4–10 के पुनरावलोकन की मांग की है तथा अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ से आदेश दिनांक 9.8.10 के पुनरावलोकन की अनुमति मिली है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 29.1.2015 में तहसीलदार कैलारस के आदेश दिनांक 23.4.10 के विरूद्व अपील का प्रावधान होने से पुनरावलोकन आवेदन को प्रचलन योग्य नहीं माना है , जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1050 की धारा 51 में व्यवस्था दी गई है कि मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व पक्षकार के आवेदन पर , किसी ऐसे आदेश का , जो स्वतः उसके व्दारा या उसके पूर्वाधिकारी व्दारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा। पुनर्विलोकन के आधारों में बताया गया है किसी नई और महत्वपूर्ण विषयवस्तु या साक्ष्य की खोज होने पर अथवा संज्ञान में लाये जाने पर पुनरावलोकन किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार कैलारस के समक्ष अनावेदकगण ने इस तथ्य को छिपा लिया था कि वादग्रस्त भूमि उनके व्दारा पूर्व में ही विकय की जा चुकी है और इस तथ्य को छिपाकर नामान्तरण आवेदन देते हुये अन्य भूमियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर भी नामान्तरण करवा लिया और जब आवेदक व्दारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को तहसीलदार के ध्यान में लाया गया, तहसीलदार व्दारा पूर्वादेश दिनांक 23–4–10 को पुनरावलोकन में लेने हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर इस आदेश का पुनरावलोकन किया है जिसमें किसी प्रकार का

दोष नजर नहीं आता है, किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा वास्तविक **तथ्यों** के विपरीत अर्थ निकालते हुये तहसीलदार कैलारस के आदेश दिनांक 5—7—2011 को एंव अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 9.10.12 को निरस्त करने में भूल की है।

5/ जैसाकि अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने अनावेदकगण को सुने बिना पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की है जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश ठीक ही निरस्त किये हैं। इस कम में तहसीलदार कैलारस के प्रकरण कमांक 63/09—10 बी 121 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार व्दारा आर्डरशीट दिनांक 28.6.2010 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ से पुनरावलोकन की अनुमति मांगते हुये मूल प्रकरण उनकी ओर भेजा है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 9.8.10 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है तदुपरांत प्रकरण तहसील न्यायालय में वापिस होने पर आर्डरशीट दिनांक 20.8.10 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा आगामी पेशी 6.9.10 को अनावेदकगण एंव उनकी ओर से श्री जगदीश प्रजापति अभिभाषक पैरबी हेतु उपस्थित हुये हैं जिनके व्दारा दिनांक 6.9.10 से दिनांक 6.6.11 25 पेशियों तक पैरबी करते हुये दिनांक 6.6.11 को अंतिम बहस की है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार केलारस ने उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है। यदि अनावेदकगण पुनरावलोकन प्रस्ताव से अथवा अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा दी गई पुनरावलोकन अनुमति दिनांक 9.8.10 से दुखी थे तब उन्हें पुनरावलोकन अनुमति आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में निगरानी/अपील करना थी जो समय रहते उनके व्दारा नहीं की गई जिसके कारण पुनरावलोकन अनुमति आदेश दिनांक 9.8.10 आज की स्थिति में अंतिम रूप ले चुका है और विचाराधीन निगरानी में अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा उक्तानुसार की गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि भूमिस्वामी व्दारा भूमि विकय कर दी गई, तब क्या विकेता भूमि स्वामी अथवा उसके उत्तराधिकारी शासकीय अभिलेख में विकीत भूमि पर उनका नाम दर्ज चले आने के आधार पर नामांत्रण कराने के पात्र हैं ? **म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 — धारा 110 — भूमिस्वामी के अधिकार विधि के प्रभाव से अर्जित होते हैं — भूमि एक वार विकय कर दी गई — विकेता को विकीत भूमि में स्वामित्व नहीं रहा — विकेता की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान को ऐसी भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व एंव स्वामित्व के हक जाग्रत नहीं है।** वादग्रस्त भूमि आवेदक व्दारा अलग अलग दो पंजीकृत विकय पत्रों से कय की है कय करने के उपरांत भले की राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं

हुआ हो, किन्तु भूमि विकय करने के वाद केता अथवा उसके वारिसान को ऐसी भूमि पर किसी प्रकार के स्वत्व शेष नहीं रहते हैं और विकेता भूमिस्वामी के मरने के वाद उसके वारिसान को ऐसी रिकार्डेड भूमि पर नामान्तरण कराने की पात्रता नहीं है, जिसके कारण तहसीलदार केलारस व्दारा आदेश दिनांक 23.4.2010 को वादग्रस्त भूमि के विकय पत्र तक सॅशोधित करने हेतु पारित आदेश दिनांक 5—7—11 हस्तक्षेप योग्य नहीं है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 46/10—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—10—12 भी हस्तक्षेप योग्य नहीं है, किंतु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना ने प्रकरण कमांक 91/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.1.2015 से अपील स्वीकार कर उक्तानुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना द्वारा प्रकरण कमांक 91/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.1.2015 त्रृटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/　　　उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना द्वारा प्रकरण कमांक 91/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.1.2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 46/10—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—10—12 तथा तहसीलदार कैलारस व्दारा प्रकरण कमांक 63/2009—10 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 05—07—2011 विधिवत होने से स्थिर रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर